संख्या-12/2019/301/12-5-2019-सा-01/2019

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांक 21 फरवरी, 2019**

विषय-लघु एवं सीमान्त किसानों की आय बढ़ाने हेतु "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी0एम0-किसान)" योजना के क्रियान्वयन के सम्बंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि किसानों के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी0एम0-किसान) नामक एक अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना प्रारम्भ की गयी है। उक्त योजना में लाभार्थियों के चयन के लिए शासनादेश संख्या-6/2019/07-भा0स0/12-5- 2019-सा-01/2019, दिनांक 05 फरवरी, 2019 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप आप द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक मद/कन्टीजेन्सी पर होने वाले व्यय के लिए धनराशि कृषि विभाग के द्वारा प्रत्येक जनपद को रू0 50,000/- प्रत्येक विकासखण्ड की दर से उपलब्ध करायी जा रही है। जिन जनपदों में आत्मा के बैंक खाते संचालित हैं वहां यह धनराशि उक्त बैंक खाते में हस्तानान्तरित कर दी जायेगी। जिन जनपदों में वर्तमान में आत्मा के बैंक खाते संचालित नहीं हैं, वहाँ के जिलाधिकारीगण किसी अन्य सरकारी बैंक खाते का विवरण कृषि निदेशक उ0प्र0 को तत्काल ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध करवा दें, ताकि धनराशि बैंक खाते में स्थानान्तरित की जा सके।

3- प्रशासनिक मदों के व्यय/कन्टीजेन्सी के लिए मण्डलायुक्तों के निवर्तन पर भी रू0 1.00 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है। इस हेतु समस्त मण्डलायुक्त एक सरकारी बैंक खाते का विवरण कृषि निदेशक उ0प्र0 को उपलब्ध करवा दें। जिन मण्डलों में आत्मा के बैंक खाते संचालित होंगे वहां धनराशि आत्मा के खाते में उपलब्ध करा दी जायेगी।

4- आप अवगत हैं कि इस योजना का प्रारम्भ मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 24.02.2019 को जनपद-गोरखपुर से किया जा रहा है। उक्त दिवस को सभी जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय एवं ब्लाक मुख्यालयों पर भी कार्यक्रम आयोजित किये जाने हैं, ताकि इस कार्यक्रम के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार हो सके। कार्यक्रम की रूप रेखा निम्नवत होगी:-

क्र0	आयोजन का समय	निर्धारित कार्यक्रम
1	10.30 बजे से 11.00 बजे तक	स्थानीय कार्यक्रम, जिसमें जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।
2	11.00 बजे से 11.30 बजे तक	कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को प्रधानमंत्री जी की मन की बात का प्रसारण दिखाया जायेगा।
3	11.30 बजे से 12.30 बजे तक	गोरखपुर से योजना के राष्ट्रीय लाँच का सीधा प्रसारण लोगों को दिखाया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- उक्त कार्यक्रम के आयोजन हेतु कृषि विभाग के द्वारा भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि रू0 10,000/- प्रत्येक विकासखण्ड एवं रू0 25,000/- प्रत्येक जिला मुख्यालय की दर से पृथक से उपलब्ध करायी जायेगी। प्रशासनिक मद की धनराशि से तहसील के कार्यक्रम हेतु रू० 15000/- की धनराशि व्यय की जाएगी। उक्त कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु सूचना विभाग से पृथक से व्यवस्था की जा रही है। जनपद स्तरीय एवं ब्लाक स्तरीय आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रमाण पत्र का वितरण भी किया जायेगा, जिसका प्रारूप संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। प्रमाण पत्रों को जिलाधिकारियों द्वारा अन्तिम रूप दे कर समय से छपवाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक-प्रमाण-पत्र का प्रारूप।

भवदीय,
अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव।

संख्या-12/2019/301(1)/12-5-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को उनके पत्र संख्या-1-1/2019/क्रेडिट.1 दिनांक 01 फरवरी, 2019 के सन्दर्भ में।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, सूचना, उ0प्र0 शासन।
4- अपर मुख्य प्रमुख सचिव, राजस्व, उ0प्र0 शासन।
5- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
6- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
7- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
8- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
9- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
10- निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उ0प्र0 शासन।
11- कृषि निदेशक उ0प्र0, लखनऊ।
12- निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0, लखनऊ।
13- समस्त उप कृषि निदेशक, उ0प्र0।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अमित मोहन प्रसाद
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>प्रारूप</u>

"प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना"

<u>प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद..... की तहसील..... विकासखण्ड..... के राजस्व ग्राम.....के श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पत्नी/पुत्री..... इस योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष रू0 6000/- की धनराशि प्राप्त करने हेतु पात्र पाए गए हैं।

हस्ताक्षर

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।